न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 94/2014

1 जमनी बेवा हरदेवाराम।
2 मदनलाल पुत्र हरदेवाराम।
3 प्रभुदयाल पुत्र हरदेवाराम।
4 मक्खनलाल पुत्र हरदेवाराम।
5 मूल बेवा बोदुराम समस्त जाति कुम्हार निवासीगण भढ़ाढर तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 जिला कलेक्टर महोदय सीकर।
2 सार्वजनिक निर्माण विभाग सीकर जरिये अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. सीकर।
3 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सीकर।
4 रामावतार पुत्र हरदेवाराम जाति कुम्हार निवासी भढ़ाढर तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांकित 30.05.2014
न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर
श्रीमती अनुपम कायल आर.ए.एस. बअनुवानी
जमनीदेवी आदि बनाम जिला कलेक्टर आदि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री नवरंगलाल बीवाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 15.04.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा संख्या 441/2008 में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण की वाके ग्राम भढ़ाढर तहसील व जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 578,595,604,608,610 अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि के अपीलार्थीगण/वादीगण खातेदार काबिज काश्तकार है परन्तु सभी खातेदारान ने अपनी इच्छा व स्वीकृति से विभाजन कराने हेतु तहसीलदार सीकर के समक्ष दिनांक 24.10.2003 को विभाजन कर दिया जिसके पुराने खसरा नम्बर 269 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा पुख्ता है जिनके नवीन खसरा नम्बर 578 रकबा 1.90 हैक्टेयर ग्राम भढ़ाढ़र में अवस्थित है। जो अपीलार्थीगण/वादीगण एवं रेस्पोडेंट संख्या 4 के पिता हरदेवाराम के हिस्से में विभाजन के अनुसार आया परन्तु तहसीलदार सीकर ने विभाजन करते समय भूल से खसरा नम्बर 578 रकबा 1.90 हैक्टेयर के बजाए 1.48 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया और 0.42 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 2 सार्वजनिक निर्माण विभाग के गलत रूप में खातेदारी में दर्ज कर दी। जबकि भूमि खसरा नम्बर 595 में से 0.42 हैक्टेयर भूमि सड़क में ली गई थी और खातेदारी भी खसरा नम्बर 595 की भूमि में से 0.42 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम हो गई जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 765/595 है। इस प्रकार खसरा नम्बर 578 मे से 0.42 हैक्टेयर भूमि को गलत रूप से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या 2 के नाम खातेदारी करने पर अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा एक वाद बाबत उद्घघोषणा व दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2014 को अपने निर्णय पारित करते हुए दावा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलार्थीगण/वादीगण की वाके ग्राम भढ़ाढर तहसील व जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 578,595,604,608,610 अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि के अपीलार्थीगण/वादीगण खातेदार काबिज काश्तकार है परन्तु सभी खातेदारान ने अपनी इच्छा व स्वीकृति से विभाजन कराने हेतु तहसीलदार सीकर के समक्ष दिनांक 24.10.2003 को विभाजन कर दिया जिसके पुराने खसरा नम्बर 269 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा पुख्ता है जिनके नवीन खसरा नम्बर 578 रकबा 1.90 हैक्टेयर ग्राम भढ़ाढ़र में अवस्थित है। जो अपीलार्थीगण/वादीगण एवं रेस्पोडेंट संख्या 4 के पिता हरदेवाराम के हिस्से में विभाजन के अनुसार आया परन्तु तहसीलदार सीकर ने विभाजन करते समय भूल से खसरा नम्बर 578 रकबा 1.90 हैक्टेयर के बजाए 1.48 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया और 0.42 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 2 सार्वजनिक निर्माण विभाग के गलत रूप में खातेदारी में दर्ज कर दी। जबकि भूमि खसरा नम्बर 595 में से 0.42 हैक्टेयर भूमि सड़क में ली गई थी और खातेदारी भी खसरा नम्बर 595 की भूमि में से 0.42 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम हो गई जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 765/595 है। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार धोद की रिपोर्ट पर कोई विवेचन नही कर विधिक भूल की है। अपील स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 2 सार्वजनिक निर्माण विभाग की खातेदारी की भूमि में कोई नया रास्ता या सड़क नही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बनायी जा रही है। सड़क की भूमि की खातेदारी वादीगण को अपने नाम करवाने का कोई अधिकार नहीं है। राजकीय कार्य हेतु सरकार द्वारा पूर्ण प्रकिया अपनाते हुए भूमि अवाप्त कर पूर्ण मुआवजा राशि अदा कर प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज हुई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। वर्तमान में नकल जमाबंदी संवत 2063 से 2066 ग्राम भढ़ाढ़र खसरा नम्बर 758/578 रकबा 0.42 हैक्टेयर गैर मुमकिन सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है। वादी उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी उद्घोषणा करवाना चाहते है। जबकि जवाब दावे में यह अंकन किया गया है कि राजकीय कार्य हेतु सरकार द्वारा पूर्ण प्रकिया अपनाते हुए भूमि अवाप्त कर पूर्ण मुआवजा राशि अदा कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम हुई है। इस प्रकार यह प्रकरण भूमि अवाप्ति से सम्बंधित है। जिनके लिए वादी सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 30.04.2013 मे स्पष्ट अंकन है कि मौके पर खसरा नम्बर 758/578 रकबा 0.42 हैक्टेयर में एन.एच. 11 बाईपास सड़क मौजुद नही है। उक्त नम्बर एन.एच. 11 बाईपास से काफी दूर है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर